भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1129
उत्तर देने की तारीख 08.02.2024

चिकित्सा उपकरणों और खिलौनों का स्वदेशी विनिर्माण

1129. श्री विनोद लखमशी चावड़ाः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश चिकित्सा उपकरणों और खिलौनों के मामले में आयात पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चिकित्सा उपकरणों और खिलौनों के स्वदेशी विनिर्माण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा दे रही है और सहायता प्रदान कर रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात के भुज, अबडासा, गांधीधाम, रापड़, मांडवी और अंजार जिलों के विकास में सहायता करने के लिए चिकित्सा उपकरणों और खिलौनों का विनिर्माण करने वाले समूहों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (घ): चिकित्सा उपकरणों के आयात और निर्यात का मूल्य निम्नानुसार है:

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

आयात			निर्यात		
2020-21	**2021-22**	**2022-23**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
6242	8540	7492	2532	2923	3391

आयात निर्भरता को कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग ने कई उपाय किए हैं जो निम्नानुसार हैं:

(i) वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2027-28 तक 3,420 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय और कार्यकाल के साथ चिकित्सा उपकरणों (पीएलआई एमडी) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना। चयनित कंपनियों को भारत में निर्मित और स्कीम के चार लक्ष्य खंडों के अंतर्गत आने वाले चिकित्सा उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री पर पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए 5% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। चार लक्ष्य खंड हैं - (I) रेडियोथेरेपी, (II) इमेजिंग डिवाइस, (III) एनेस्थीसिया, कार्डियो-श्वसन और क्रिटिकल केयर, (IV) प्रत्यारोपण। स्कीम के अंतर्गत 26 प्रतिभागियों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 11 एमएसएमई हैं।

(ii) फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, 15,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय और वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2028-29 तक के कार्यकाल के साथ, 55 चयनित आवेदकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसमें इन-विट्रो डायग्नोस्टिक्स (आईवीडी) उपकरणों के पांच चयनित आवेदक शामिल हैं, जिनमें से चार एमएसएमई हैं। स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन अवधि छह वर्ष है।

(iii) चिकित्सा उपकरण पार्क संवर्धन स्कीम, 400 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय और वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक के कार्यकाल के साथ, आगामी चिकित्सा उपकरण पार्कों में सामान्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण के लिए 4 चयनित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 करोड़ रुपये की अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान करती है। स्कीम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों को 100-100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(iv) सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों को सहायता (एएमडी-सीएफ) स्कीम का उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के परीक्षण प्रयोगशालाओं, ई-कचरा उपचार सुविधा, लॉजिस्टिक सेंटर जैसी सामान्य आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है। यह स्कीम चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने या सुदृढ़ करने में रुचि रखने वाले राष्ट्रीय या राज्य स्तर के सरकारी या निजी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आवेदक के लिए आवेदन विंडो जनवरी, 2024 में खोली गई है। एमएसएमई, स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन का लाभ उठाने के पात्र हैं।

इसके अलावा, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय खिलौना उद्योग के लिए अनुकूल विनिर्माण परितंत्र निर्मित करने के लिए सर्वांगीण सहायता प्रदान कर रहा है। कुछ उपायों में भारत में निर्मित खिलौनों को बढ़ावा देना; भारतीय मूल्यों, संस्कृति और इतिहास के आधार पर खिलौनों की डिजाइनिंग; खिलौनों को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करना; खिलौना डिजाइनिंग और विनिर्माण के लिए हैकथॉन और भव्य चुनौतियों का आयोजन करना; खिलौनों की गुणवत्ता की निगरानी करना; घटिया और असुरक्षित खिलौनों के आयात को प्रतिबंधित करना और स्वदेशी खिलौना क्लस्टरों को बढ़ावा देना शामिल है। सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, विनिर्माण परितंत्र भारतीय खिलौना उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे वित्त वर्ष 2014-15 में खिलौनों का कुल आयात 332.55 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 52% की कमी के साथ वित्त वर्ष 2022-23 में 158.66 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और खिलौनों के निर्यात में 239% की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2014-15 में 96.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 325.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। मेड इन इंडिया खिलौनों के निर्यात को और बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(i) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने दिनांक 02.12.2019 की अधिसूचना के अंतर्गत प्रत्येक खेप के नमूना परीक्षण को अनिवार्य कर दिया है और जब तक गुणवत्ता परीक्षण सफल नहीं हो जाता तब तक बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। विफलता की स्थिति में, खेप को आयातक की कीमत पर या तो वापस भेज दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है।

(ii) खिलौने-एचएस कोड-9503 पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) फरवरी 2020 में 20% से बढ़ाकर 60% कर दी गई है, बाद में इसे मार्च 2023 में बढ़ाकर 70% कर दिया गया है।

(iii) सरकार ने दिनांक 25.02.2020 को खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जारी किया, जिसके माध्यम से खिलौनों को दिनांक 01.01.2021 से अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन के अंतर्गत लाया गया है। यह क्यूसीओ घरेलू निर्माताओं के साथ-साथ विदेशी निर्माताओं जो भारत में अपने खिलौने निर्यात करना चाहते हैं, दोनों पर लागू है।

(iv) खिलौनों पर क्यूसीओ को विकास आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय के साथ पंजीकृत कारीगरों द्वारा निर्मित और बेची जाने वाली वस्तुओं और पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम) के कार्यालय, भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत उत्पाद के पंजीकृत मालिक और अधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा भी छूट देने के लिए दिनांक 11.12.2020 को संशोधन किया गया था।

(v) बीआईएस ने दिनांक 17.12.2020 को परीक्षण सुविधा के बिना खिलौने बनाने वाली सूक्ष्म इकाइयों को एक वर्ष के लिए लाइसेंस देने और इन-हाउस सुविधा स्थापित करने पर जोर न देने के लिए विशेष प्रावधान किए। इसके बाद, उद्योग के प्रतिनिधित्व पर छूट को 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ा दिया गया है।

(vi) बीआईएस ने जनवरी 2024 तक आईएस 9873/आईएस 15644 के अनुसार खिलौनों की सुरक्षा के लिए घरेलू निर्माताओं को 1454 लाइसेंस और विदेशी निर्माताओं को 36 लाइसेंस दिए हैं।

(vii) भारत-यूएई व्यापक साझेदारी समझौते (सीईपीए) और भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते व्यापार (ईसीटीए) सहित हाल के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के अंतर्गत, भागीदार देश भारतीय खिलौनों के निर्यात के लिए शून्य शुल्क बाजार पहुंच प्रदान कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय गुजरात सहित पूरे देश में नए उद्यमों के सृजन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास और आधारभूत संरचना के विकास हेतु ऋण सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है। परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) के अंतर्गत, 10969 कारीगरों को लाभान्वित करने वाले 19 खिलौना क्लस्टरों को अनुमोदित किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	**राज्य**	**क्लस्टरों की संख्या**	**कारीगरों की कुल संख्या**
1	तमिलनाडु	1	460
2	आंध्र प्रदेश	1	231
3	कर्नाटक	2	830
4	मध्य प्रदेश	9	6,218
5	नागालैंड	1	270
6	राजस्थान	3	1,958
7	उत्तर प्रदेश	2	1,002
कुल योग		19	10969

*****